आदेश पर की
कार्यवाही के

न्यायालय अंतर्गत उप-समाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज

राजस्व विविध (जमाबंदी सृजन एवं लगान निर्धारण) वाद संख्या-01/14-15

राजकुमार मंडल एवं अन्य दो बनाम-16 (सोलह) आना रैयत, मौजा-गोपालपुर दियारा उर्फ रिभर ब्लॉक

आदेशः-

14.7.15

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अंचलाधिकारी साहेबगंज के पत्र संख्या-104/रा० दिनांक- 16.2.2012 द्वारा जमाबंदी ~~कायम~~ सृजन करते हुए लगान निर्धारण करने से संबंधित अभिलेख संख्या-01/10-11 आवेदकगण 1. राजकुमार मंडल 2. गणेश मंडल एवं 3. अमरनाथ मंडल, सभी पिता-फुदू मंडल, सभी साकिन-बांसकोला सभी पोस्ट-सकरीगली, सभी थाना-तालझारी, सभी जिला-साहेबगंज, झारखंड का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन तथा अंचल अमीन का जमीन नापी प्रतिवेदन तथा नक्शा के साथ त्रुटि निराकरण के पश्चात् प्राप्त हुआ है।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा साहेबगंज अंचल के अंतर्गत मौजा-गोपालपुर दियारा उर्फ रिभर ब्लॉक के थाना नंबर-07 का कुल रकबा-22.94 एकड़ जमीन आवेदक गण के नाम से जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत करने हेतु अभिलेख प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, साहेबगंज का सोलह आना रैयत का तामिला नोटिश अभिलेख के साथ संलग्न है।

अधिसूचित पदाधिकारी के पदस्थापित के पश्चात् दिनांक-30.7.14 को इस वाद को अंगीकृत करते हुए आवेदक एवं संबंधित मौजा के सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया, परन्तु उक्त मौजा के सोलह आना रैयत द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति आज तक दाखिल नहीं की गयी। तत्पश्चात् आगे की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि रेंट रॉल अभिलेख के साथ संलग्न नहीं है। पुनः पत्रांक- 23/भू०सु० दिनांक- 30.1.15 द्वारा अंचल अधिकारी, साहेबगंज के रेंट रॉल की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, साहेबगंज के पत्र संख्या- 212/रा० दिनांक- 04.04.15 द्वारा रेंट रॉल विहित प्रपत्र में तीन-तीन प्रतियों के साथ प्राप्त हुआ। अभिलेख के अवलोकनोपरांत पुनः ज्ञात हुआ कि अभिलेख के आदेश फलक में अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा

Scanned with CamScanner

अनुशंसा का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर इस न्यायालय के पत्रांक-08/डी0बी0 दिनांक-05.6.15 द्वारा मूल अभिलेख अंचल अधिकारी, साहेबगंज को वापस करते हुए आदेश फलक में अनुशंसा का उल्लेख करते हुए मूल अभिलेख भेजने का निदेश दिया गया। पुनः अंचल अधिकारी, साहेबगंज ने पत्रांक-413/रा0 दिनांक- 22.6.15 द्वारा मूलअभिलेख में अनुशंसा के साथ का उल्लेख आदेश फलक में करते हुए इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त अभिलेख के प्राप्ति उपरांत आवेदकोंके विद्व अधिवक्ता का बहस सुना।

आवेदक के विद्व अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक गण के परदादा शेखु मंडल के नाम से 46 बीघा सोलह कट्ठा एवं आवेदक गण के दादा वीरू मंडल के नाम से 22 बीघा 12 कट्ठा जमीन का, जो असर्वेक्षित मौजा के दियारा क्षेत्र में पड़ता है, उक्त जमीन जमींदार द्वारा रिटर्न जमा करते समय गंगशिकस्त हो जाने के कारण इसका रिटर्न जमा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप पंजी ।। में दर्ज नहीं हो सका।

पुनः आवेदक के विद्व अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अब से लगभग पांच वर्ष पूर्व उक्त वर्णित जमीन गंगबरार हो जाने पर अपने पूर्वजों की जमीन पर आवेदक गण के द्वारा दखलभोग किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहना है कि आवेदक संख्या-01. राजकुमार मंडल 23 बीघा 08 कट्ठा अर्थात् 07 एकड़ 65 डिसमिल जमीन पर, आवेदक संख्या-02. गणेश मंडल 23 बीघा 08 कट्ठा अर्थात् 07 एकड़65 डिसमिल जमीन पर एवं आवेदक संख्या-03. अमरनाथ मंडल का 22 बीघा 12 कट्ठा अर्थात् 07 एकड़64 डिसमिल जमीन पर दखल कब्जा है।

अतएव आवेदक के विद्व अधिवक्ता का यह कहना है कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज ने अपने स्तर से उक्त जमीन से संबंधित जांच प्रतिवेदन राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से कराते हुए, अंचल अमीन से उक्त जमीन का नापी प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए, सोलह आना रैयत से आपत्ति अर्थात् दावा प्राप्त नहीं होने पर आवेदक गण के नाम से जमाबंदी सृजन करते हुए लगान निर्धारण करने का अनुशंसा के साथ रैंट रॉल सहित स्वीकृति प्रदान करने हेतु अभिलेख श्री मान् के न्यायालय में भेजा गया है। इसलिए विद्व अधिवक्ता का अनुरोध है कि आवेदक गण के नाम से जमाबंदी सृजन करते हुए लगान निर्धारण करने का आदेश

पारित किया जाय। ताकि आवेदक गण ~~[illegible]~~ जमीन का लगान नियमित रूप से ससमय भुगतान कर सकें।

अतः अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा प्राप्त राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक केजांच प्रतिवेदन, अंचल अमीन का नापी प्रतिवेदन, संबंधित मौजा के सोलह आना रैयत का तामिला नोटिश. रेंट रॉल एवं अनुशंसा के आधार पर तथा आवेदक गण के विज्ञ अधिवक्ता के बहस सुनने के पश्चात् एवं आवेदक गण के परदादा तथा दादा के नाम से उपलब्ध अभिलेखों जमींदारी पर्ची की मूल प्रति को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में उक्त जमीन आवेदकगण के वंशज का ही है। ऐसी स्थिति में वर्णित आवेदक गण के नाम से दखल कब्जा ट्रेश नक्शा में दिखाया गया संकेत ए0बी0सी0 का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	दखलकार आवेदकों का नाम	संकेत	रकबा एकड़ डिसमिल	चौहद्दी
1.	2.	3.	4.	5.
1,	राजकुमार मंडल पे0-स्व0 फुदू मंडल सा0-बांसकोला पोस्ट-सकरीगली जिला-साहेबगंज	ए	07.65	उत्तर-मधु मंडल वो शिवलाल मंडल दक्षिण-गणेश मंडल पूरब-लखन मंडल पश्चिम-रमेश मंडल वो देवनारायण मंडल
2.	गणेश मंडल पिता-स्व0फुदूमंडल सा0-बांसकोला पोस्ट-सकरीगली जिला-साहेबगंज	बी	07.65	उ0-राजकुमार मंडल द0-अमरनाथ मंडल पु0-लखन मंडल प0-रमेश मंडल वो0 देवनारायणमंडल
3.	अमरनाथ मंडल पे0-स्व0 फुदूमंडल सा0-बांसकोला पोस्ट-सकरीगली जिला-साहेबगंज	सी	07.64 ---- 22.94	उ0-गणेश मंडल द0-लखन मंडल पु0-लखन मंडल प0-रमेश मंडल वो देवनारायण मंडल

Scanned with CamScanner

मौजा के 16 आना रैयत की ओर से आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर उक्त वर्णित जमीन जो मौजा गोपालपुर f दयारा उर्फ रिम्हर ब्लॉक का है जिसे आवेदकगण को अपने पूर्वज से आये जमीन का जोत आबाद करते आ रहे हैं। का नया जमाबंदी सृजन करते हुए लगान 70.00 अलावे शेष वर्ष 1954-55 से धार्य करने की स्वीकृति दी जाती है। तथा अंचल अधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त थाना नंबर-07 होल्डिंग नंबर-09 का भूमि का पूर्ण विवरण पंजी II में अंकित करते हुए लगान रसीद निर्गत कराने की कार्रवाई करेंगे।आदेश की प्रति के साथ अंचल अधिकारी,साहेबगंज को तीनों आवेदकों का रेंट रॉल एवं नक्शा की एक-एक प्रति भेजा जाता है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त (बंद) की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 14.7.15
उप-समाहर्त्ता
भूमि सुधार, साहेबगंज।

(हस्ताक्षर) 14.7.15
उप-समाहर्त्ता
भूमि सुधार, साहेबगंज।

ज्ञापांक 1 डी.सी.एल., साहेबगंज, दि०

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, साहेबगंज को आदेश की प्रति के साथ तीनों आवेदकों का रेंट रॉल तथा नक्शा की एक-एक प्रति संलग्न कर भेजते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1.8.15
उप समाहर्त्ता,
भूमि सुधार,
साहेबगंज।

अनुलग्नक :-
कुल - 6 (छः) प्रतियों में आदेश सहित
(मूल रूप में)
([illegible] पन्नों में)